

प्रपत्र – II

60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जानेवाली विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए अधिमानता

घोषणा पत्र

मैं (नाम), अनुक्रमांक, 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का उम्मीदवार हूँ। उक्त परीक्षा के आधार पर भरी जानेवाली विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए रिक्तियों की पूर्ण जानकारी मुझे है। इन रिक्तियों के आलोक में मैं, नीचे दी गयी सारणी के अनुसार निम्नलिखित सेवाओं/पदों के लिए अधिमान क्रम, अधिमान कोड एवं सेवा/पद का नाम का उल्लेख कर रहा/रही हूँ, जिसके लिए मैं अनुशासित होना चाहता/चाहती हूँ; जिन सेवाओं एवं पदों का उल्लेख यहाँ मेरे द्वारा स्पष्टतः नहीं किया गया है उनके लिये मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाय:-

सारणी-1

अधिमान क्रम संख्या	अधिमानता कोड (सारणी - 2 का कॉलम 12 देखें)	सेवा/पद का नाम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

महत्वपूर्ण:- उपर्युक्त सारणी में अधिमानता कोड एवं सेवा/पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस (x) कर दें। जिस पद के लिए आपके द्वारा अधिमानता क्रम नहीं भरा जायेगा उस पद के लिए आपकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं उक्त पद मेधा क्रम में आपसे नीचे स्थित उम्मीदवार को उनके द्वारा दी गई अधिमानता के आधार पर आवंटित कर दिया जायेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आपके द्वारा किसी भी सेवा/पद के लिए अधिमानता नहीं अंकित की जाती है तो मेधा सूची में रहने एवं सेवा/पद उपलब्ध रहने के बावजूद भी आपको सेवा/पद आवंटित नहीं किया जायेगा।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

सारणी-2
विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर रिक्तियों की विवरणी

क्रम संख्या	सेवा/पद का नाम	आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की विवरणी							सरकार से प्राप्त अधियाचना के अनुसार		अधिमानता कोड * (कृपया प्रपत्र के अंत में नोट 1 देखें)
		GEN (01)	SC (02)	ST (03)	EBC (04)	BC (05)	BCL (06)	Total	वेतनमान	ग्रेड पे	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	बिहार प्रशासनिक सेवा (अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता एवं समकक्ष)	122	39	03	44	29	07	244	9300-34800	5400	BAS
2.	बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक)	15	04	--	06	05	--	30	9300-34800	5400	BPS
3.	बिहार वित्त सेवा (वाणिज्यकर पदाधिकारी)	37	12	--	13	09	02	73	9300-34800	5400	BFS
4.	जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन)	03	01	--	01	--	--	05	9300-34800	5400	DC
5.	उत्पाद निरीक्षक	01	01	--	--	--	--	02	9300-34800	4800	EXI
6.	बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी)	27	12	--	12	07	02	60	9300-34800	4200	PO
7.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी	06	01	--	03	01	02	13	9300-34800	4200	RDO
8.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी	03	--	--	--	--	--	03	9300-34800	5400	DMW
9.	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी	03	--	--	--	--	--	03	9300-34800	4800	EO
10.	बिहार निबन्धन सेवा (अवर निबंधक)	07	01	--	01	02	--	11	9300-34800	4800	SR
11.	बिहार श्रम सेवा (श्रम अधीक्षक)	03	04	--	--	--	--	07	9300-34800	4800	LS
12.	ईख पदाधिकारी	02	--	--	--	--	--	02	9300-34800	4800	SCO
13.	बिहार निर्वाचन सेवा (अवर निर्वाचन पदाधिकारी)	04	--	--	--	--	--	04	9300-34800	4800	SEO
14.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ	04	01	--	01	01	--	07	9300-34800	4800	DAO
15.	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	01	01	--	--	01	--	03	9300-34800	4800	ARCS
16.	राजस्व अधिकारी	87	28	02	31	22	05	175	9300-34800	4200	REV

2. उपर्युक्त अधिमानता मैं सोच-समझ कर दे रहा/रही हूँ। मैं जानता हूँ कि भविष्य में इनमें किसी भी कारणवश किसी प्रकार के परिवर्तन करने का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा और न तो परिवर्तन के लिये आवेदन पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा।

3. पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर निम्नलिखित सेवा/पद के लिए मैं अनुशंसित किया गया/की गयी हूँ :-

(1) (2)

विश्वासभाजन,

तिथि:

उम्मीदवार का
हस्ताक्षर : हिन्दी में
अंग्रेजी में

नोट 1 –

अधिमानता कोड	सेवा/पद का नाम
BAS	बिहार प्रशासनिक सेवा (अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता एवं समकक्ष)
BPS	बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक)
BFS	बिहार वित्त सेवा (वाणिज्यकर पदाधिकारी)
DC	जिला समादेष्टा (गृह रक्षा वाहिनी संगठन)
EXI	उत्पाद निरीक्षक
PO	बिहार प्रोबेशन सेवा (प्रोबेशन पदाधिकारी)
RDO	ग्रामीण विकास पदाधिकारी
DMW	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
EO	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी
SR	बिहार निबन्धन सेवा (अवर निबंधक)
LS	बिहार श्रम सेवा (श्रम अधीक्षक)
SCO	ईख पदाधिकारी
SEO	बिहार निर्वाचन सेवा (अवर निर्वाचन पदाधिकारी)
DAO	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ
ARCS	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ
REV	राजस्व अधिकारी